न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 51/2006 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हुकमचन्द पुत्र मुखराम

2. रोहिताश पुत्र मुखराम जाति यादव निवासीयान ढाणी सूरजापुरा हाल पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:——— अपीलांट

बनाम

1. माडूराम पुत्र मुखराम जाति यादव निवासी ढाणी सूरजापुरा हाल पीपली तहसील मुण्डावर जि6ला अलवर

2. लैंड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

:————————रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 26/7/2005

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री नवनीत तिवाडी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 14-9-17

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2005 में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2005 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार यह आदेश दिया गया था कि अप्रार्थी नम्बर 01 को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, अप्रार्थी नम्बर 01 विधुत कोठडी 8 गुणा 8 का निर्माण बोरिंग कर कनेक्शन हेतु करने के लिए स्वतंत्र है । इस आदेश से नाखुश होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

2. विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की पूर्व में हमको कोई जानकारी नहीं थी । जब रेस्पो0 ने निर्माण कार्य करना शुरू किया, तब जानकारी हुई । तहत न्यायालय में हमको बताया गया था कि रेस्पो0 को निर्माण नहीं करने बाबत टी0 आई0 जारी की गई है । परन्तु जब रेस्पो0 ने निर्माण कार्य शुरू किया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । उन्होंने आगे बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 618 मिन रकबा 0.63 व 720 रकबा 0.63 वाके ग्राम पीपली तहसील मुण्डावर अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की है । तहत न्यायालय 8 गुणा 8 की कोठडी का निर्माण करने हेतु रेस्पो0 को स्वतंत्र गलत प्रकार से किया है क्योंकि जब तक आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है । देरी का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है । अपीलाधीन आदेश की इनको शुरू से ही जानकारी थी । उन्होंने आगे तर्क दिये कि मौके पर बंटवारा हो चुका है । मैं कोई नया निर्माण नहीं कर रहा हूं । मैं अपने हिस्से की भूमि में विधुत कनेक्शन हेतु कोठडी का निर्माण करना चाहता हूं । मेरे हिस्से की भूमि में मुझे पाबन्द नहीं किया जा सकता । मैंने डिमांड राशि विधुत कनेक्शन हेतु जमा करा दी । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

5. पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खाते की आराजी है । जिसके तकासमा के लिये तहत न्यायालय में धारा 53 (2) आर0 टी0 एक्ट के तहत वादी ने वाद पेश किया था । उक्त वाद में पारित निर्णय अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. अतः अपील अपीलांट इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि तहत न्यायालय में पेश वाद अन्तर्गत धारा 53 (2) आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय के अनुसार उभयपक्ष अपने अपने हिस्से की आराजी में निर्माण करने के लिये स्वतंत्र है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner